–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 140 / 2025

उनवान

मथुरा देवी पत्नी मूलचन्द जाति रावत निवासी ग्राम देराठू नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 29.9.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.37 व 3823 रकबा 0.01 की आराजी प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.07.2020 को क्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम मथुरादेवी पत्नी मूलचन्द केता के रूप में अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मथुदेवीरा अंकित कर दिया है। अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम मथुरादेवी पत्नी मूलचन्द अंकित किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.37 व 3823 रकबा 0.01 की आराजी प्रार्थी व अन्य खातेदार द्वारा द्वारा दिनांक 17.07.2020 को क्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी का नाम मथुरादेवी पत्नी मूलचन्द केता के रूप में अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मथुदेवीरा अंकित कर दिया है। विक्रय पत्र के अनुसार आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का नाम मथुरादेवी ही अंकित होना था। उक्त त्रुटि स्वाभाविक है जिसे दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता साथ ही अन्य सह खातेदार भी प्रभावित नही होते है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3822 रकबा 0.37 व 3823 रकबा 0.01 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का नाम मथुदेवीरा पत्नी मूलचन्द के स्थान पर मथुरा देवी पत्नी मूलचन्द अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:51:15 IST
Reason: SelfAttested